

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 242288

दिनांक :- 14.08.15

सं0सं0-3/स्था0-1-52/15

प्रेषित,

श्री रासीद रहमान,

अधिसूचित ग्रामीण विकास पदाधिकारी, दिग्घलबैंक, किशनगंज,

पता- आजाद नगर, वार्ड न0-19,

जिला- अररिया, पिन-854311


विषय :- अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-200188 दिनांक 08.09.14 द्वारा आपका पदस्थापन ग्रामीण विकास पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिग्घलबैंक, किशनगंज के पद पर किया गया था, परंतु आपके द्वारा अधिसूचित पद के विरुद्ध योगदान नहीं किया गया और न ही कोई सूचना विभाग उपलब्ध कराया गया है ।

इस प्रकार, आपके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया जाना तथा कर्तव्य से अनुपस्थित रहना आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोटक है ।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाय ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 13/8/15
सचिव